

22.03.2018

वकुलाय उपस्थित।  
वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद निस्तारण हो चुका है। इस कारण यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली